

मुख्यमंत्री ने राजस्थान समिट में हुए विभिन्न एम.ओ.यू. की समीक्षा बैठक की

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निवेशकों की अपेक्षाओं की पूर्ति हमारी जिम्मेदारी है

जयपुर, 13 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर बनाना हमारी सरकार का लक्ष्य है। इसकी प्रगति राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हस्ताक्षरित एमओयू की समयबद्ध क्रियान्विति मील का पत्थर साबित हो रही है। समिट के

ऑटोमोबाइल तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) क्षेत्र में हस्ताक्षरित एमओयू की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला कलैक्टर निवेशकों द्वारा इच्छित जमीन के आवंटन के लिए त्वरित निर्णय लें।

साथ ही, निवेशकों को जमीनों के सभी संभव विकल्पों का मौका मुआयना भी कराए।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिये कि जिला कलैक्टर बेहतर सामंजस्य के साथ एम.ओ.यू. की क्रियान्विति को सुनिश्चित करें।**

अन्तर्गत, लगभग 37 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं, जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते धरातल पर भी उतर चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संबंधित निवेशकों से निरंतर संवाद कर उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करें।

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान समिट में पर्यटन, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वस्त्र एवं परिधान,

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव, ढाण्ी से लेकर कस्बों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ ाकरण हमारी सरकार का प्रमुख ध्येय है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में युवाओं के लिए भी कैरियर के सुनहरे अवसर हैं। मुख्यमंत्री ने ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की सीमिता के कारण वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयोगिता बढ़ ती



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान समिट में हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि जिला कलैक्टर निवेशकों को जमीनों के सभी संभव विकल्पों का मौका मुआयना भी कराएं।

जा रही है।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत एवं विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी

तथा संबंधित निवेशक उपस्थित रहे। साथ ही, विभिन्न जिला कलैक्टर वीसी के माध्यम से जुड़े।

जिंदा बम प्रकरण...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अन्य को मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर उन्हें भी दोषमुक्त किया था। इसके बावजूद भी समान मामले में विशेष न्यायालय ने गत 8 अप्रैल को याचिकाकर्ता सहित तीन अन्य को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। याचिका में इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि जिंदा बम का मामला मूल मामले से अलग नहीं है। घटना में किसी तरह की जनहानि भी नहीं हुई है। उस पर आरोप था कि उसने धमाकों के बाद टीवी चैनल को ईमेल भेजकर जिम्मेदारी ली थी। समान आरोप से विशेष न्यायालय ने उसे बरी कर दिया था। ऐसे में अब उसे जिंदा बम के मामले में सजा नहीं दी जा सकती। इसलिए विशेष न्यायालय के आदेश को रद्द कर उसे दोषमुक्त किया जाए। मामले पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है।

गौरतलब है कि 13 मई, 2008 को शहर में विभिन्न स्थानों पर कुल 8 बम ब्लास्ट हुए थे। चांदपोल हनुमान मंदिर के पास एक बम जिंदा मिला था। मामले में विशेष न्यायालय ने 18 दिसंबर, 2019 को शाहबाज हुसैन को बरी करते हुए शेष चार अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने मार्च 2023 को चारों आरोपियों की सजा को रद्द कर दिया था।

पाक उच्चायोग का अफसर भारत से निष्कासित

नयी दिल्ली, 13 मई। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को अवांछित घोषित करते हुए 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा है।

विदेश मंत्रालय ने आज यहां बताया कि भारत सरकार ने नयी दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले एक पाकिस्तानी अधिकारी को भारत में उसकी आधिकारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों में शामिल होने के लिए गैर-आकलन व्यक्ति घोषित किया है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार अधिकारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को आज इस आशय का आदेश जारी किया गया।

70 देशों के राजनयिकों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी

नयी दिल्ली, 13 मई। भारत ने 70 देशों के राजनयिकों को आज यहां ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और पाकिस्तान द्वारा चलाये गये दुष्प्रचार का भी पर्दाफाश किया।

एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में मंगलवार को यहां बताया कि रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डी एस राणा ने भारत-पाकिस्तान संबंधों में नए मानदंड स्थापित करने वाले ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के बारे में जानकारी दी।

- वार्ता में भारत ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार का पर्दाफाश किया।**

उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में नए युग के युद्ध में सैन्य श्रेष्ठता के माध्यम से भारत की शक्ति और राष्ट्रीय संकल्प का प्रदर्शन किया गया।

बातचीत के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों की युद्ध प्रभावशीलता के साथ संयुक्तता और एकीकरण के माध्यम से हासिल समन्वित बल प्रयोग पर भी प्रकाश डाला गया। उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा चलाए जा रहे भारत विरोधी दुष्प्रचार अभियान और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता पर इसके प्रभाव का की भी जानकारी दी।

जस्टिस बी.आर. गवई आज सीजेआई पद की शपथ लेंगे

सीजेआई की कुर्सी तक पहुँचने वाले वे अनुसूचित जाति के दूसरे व्यक्ति हैं

- जस्टिस के.जी. बालकृष्णन अनुसूचित जाति के पहले सदस्य थे जो सीजेआई बने थे।**

- जस्टिस संजीव खन्ना मंगलवार को सीजेआई पद से सेवानिवृत्त हो गए और 14 मई को जस्टिस गवई को सीजेआई पद की शपथ दिलाई जाएगी।**

- जस्टिस गवई विख्यात अंबेडकरवादी, पूर्व सांसद तथा कई राज्यों के राज्यपाल रहे आर.एस. गवई के पुत्र हैं।**

उन्होंने वर्ष 1987 से 1990 तक बम्बई उच्च न्यायालय में स्वतंत्र रूप से वकालत की। उन्होंने वर्ष 1990 के बाद मुख्य रूप से संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में वकालत की।

न्यायमूर्ति गवई को 14 नवंबर, 2003 को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए थे। वह 12 नवंबर, 2005 को बम्बई उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने।

न्यायमूर्ति गवई ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुंबई में मुख्य पीठ के साथ-साथ नागपुर, औरंगाबाद और

पणजी में सभी प्रकार के कार्यभार वाली पीठों की भी अध्यक्षता की।

उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व महाधिवक्ता और बम्बई हाईकोर्ट के न्यायाधीश (स्वर्गीय) बैरिस्टर राजा एस भोंसले के साथ करियर की शुरुआत की हालांकि उन्होंने संक्षिप्त अवधि तक ही उनके साथ काम किया।

वे शीर्ष अदालत में संवैधानिक पीठ द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें नोटबंदी, अनुच्छेद 370, चुनावी बॉन्ड योजना और एससी/एसटी श्रेणियों के भीतर उप वार्डकरण शामिल हैं। उन्होंने एससी/एसटी के बीच क्रीमी लेयर शुरू करने की पुर्जोक्त वकालत की थी।

भारत-पाक युद्ध को अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में ...

विजंदबना यह है कि न्यूक्लियर डिटर्रेंस (परमाणु निरोध) का अस्तित्व ही मीडिया के इस रुख का कारण है। संपादक यह मानकर चलते हैं कि दोनों पक्ष युद्ध से पहले ही पीछे हट जाएंगे, जैसा कि अतीत में होता आया है। लेकिन, माफिया आज की बदलती परिस्थितियों में खतरनाक साबित हो सकती है। आज की राजनीति, सोशल मीडिया से प्रेरित राष्ट्रवाद, और धुंधले युद्धों के बीच, गलतियाँ करने की गुंजाइश कहीं ज्यादा बढ़ गई है।

अंत में आता है, इण्डिया पैराडॉक्स। एक उपमर्ती आर्थिक शक्ति और पश्चिम की इंडो-पैसिफिक रणनीति में अहम

भागीदार होने के कारण ग्लोबल मीडिया में भारत एक जटिल स्थान पर है। प्रमुख मीडिया संस्थान, जो दक्षिण एशियाई पाठकों को ध्यान में रखते हैं, भारत की आलोचना करते हुए भी सावधानी बरतते हैं, ताकि पाठकों तक उनकी पकड़ बरकरार रहे और उन्हें डिजिटल प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़े।

नतीजा क्या है? एक ऐसी कहानी, जो वैश्विक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है, उसे कभी-कभी तो किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी के तलाक या किसी वारयरल वीडियो से भी कम तवज्जो मिलती है। अगर अकल्पनीय घटना घटित हो

जाए, अगर किसी गलती से एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाए, तब शायद पश्चिमी मीडिया में स्थान, जो दक्षिण एशियाई दिखाना शुरू कर दे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, उस तरह की पत्रकारिता के लिए, जो जनमत तैयार कर सकती थी, कूटनीति को प्रभावित कर सकती थी, या शायद संकट को टाल सकती थी।

एक ऐसी दुनिया में, जहाँ धारणाएं नीतियाँ तय करती हैं और सार्वजनिक दबाव निर्णयों को प्रभावित करते हैं, वहाँ इस सुस्ती को केवल पत्रकारिता की चूक नहीं, एक रणनीतिक दृष्टिहीनता कहा जा सकता है।

केन्द्र के आश्वासन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) था, जिसका उल्लंघन किया गया है। याचिका में कहा गया है कि आश्वासन के बावजूद, पंजीकृत वक्फ संपत्ति को नष्ट कर दिया गया।

एक अवमानना याचिका उत्तराखंड के महफूज अहमद ने दायर की है। देहरादून के रहने वाले याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राज्य प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के दरगाह को ढा हा दिया है, जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधित कानून को लागू नहीं करने का आश्वासन दिया था।

याचिका में यह भी कहा गया है कि यह दरगाह 1982 में सुन्री सेन्ट्रल बोर्ड

ऑफ लखनऊ के साथ पंजीकृत थी। याचिका में दावा किया कि दरगाह पिछले 150 वर्षों से धार्मिक महत्व का एक पूजनीय स्थल रहा है और संपत्ति की वैधता साबित करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज उनके पास हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की गई एक सामान्य शिकायत के आधार पर की गई थी।

न्यायिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए होमगार्ड की नियुक्ति के साथ ही सीसीटीवी लगाए गए हैं। अदालत ने कहा कि झारखंड में एंडीजे स्तर के अधिकारी की गोली मारकर हत्या हुई है। इस पर एजी ने कहा कि यहां भी ऐसी घटना हुई थी। जोधपुर हाईकोर्ट ने समान मामले में जनहिता याचिका चल रही है। उसके आधार पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर कार्रवाई की जा रही है। इस पर अदालत ने कहा कि अब तक मामले में जो कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी अदालत में पेश की जाए।

गौरतलब है कि न्याय शिक्षा अपार्टमेंट में एक महिला न्यायिक अधिकारी के आवास पर चोरी की घटना हुई थी।

इसके बाद सामने आया था कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, जबकि ओर से केवल 150 अधिकारी रहते हैं। मामले में राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ ने भी सीजे को पत्र लिखा था।

रहे हैं, जैसे मुश्किल से तीन महीने पहले एफ-35 स्ट्रेल्ट एयर क्राफ्ट की खरीद के मामले में। नेहरू के “पंचायती राज” से उनके विरोध के अलावा, केरल में उनके मुख्य राजनैतिक विरोधी वामपंथियों के बारे में उनके विचार भी आन रिकॉर्ड हैं। केरल कांग्रेस के नेतृत्व से उनकी दूरी से सभी परिचित हैं।

कुछ समय पहले, एक अन्य चैनल को अपनी एक अन्य इंटर्व्यू में, थरूर इस प्रश्न के सीधे उत्तर के कगार पर पहुंच गये थे कि क्या वे निकट भविष्य में भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा था, “नहीं, हर पार्टी की अपनी एक आस्था और इतिहास होता है। अगर किसी पार्टी की मान्यता आपके गले नहीं उतरती है, तो आपका उस पार्टी में शामिल होना ठीक नहीं है। लेकिन स्वतंत्र रहने का विकल्प तो हमेशा ही खुला हुआ है।”

क्या “स्वतंत्र होना” कांग्रेस को छोड़ने और भाजपा में शामिल होने से पहले का “मिड स्टॉप” है?

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भान हाऊस, हनुमान हथवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैं रोड आयड, उदयपुर। फोन: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी बाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 डिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिन्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

